कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 244/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 25.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

दिनांक-25 जून 2026

पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 25-25 हजार रुपये के दो इनामी लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

महिला से लूट की सनसनीखेज वारदात का सफल अनावरण, लूट के मोबाइल, चांदी की पायल व नकदी बरामद

केटीएम बाइक से देते थे छिनैती की वारदातों को अंजाम, 02 अवैध तमंचे व कारतूस सहित दबोचे गए शातिर बदमाश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में ***थाना फूलपुर पुलिस*** को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। ***लूट एवं छिनैती की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले तथा पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग करने वाले 25-25 हजार रुपये के दो इनामी शातिर अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।*** पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अभियुक्तों के कब्जे से ***लूट का माल, अवैध असलहे, कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त केटीएम मोटरसाइकिल बरामद*** की गई है।

पूर्व की घटना/इतिहास-

➡ दिनांक 17.06.2026 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत एक महिला फूलपुर से दुर्वाषा की ओर ऑटो रिक्शा से जा रही थी। दुर्वाषा गेट सदरपुर बरौली के पास केटीएम मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशों ने असलहा दिखाकर महिला का पर्स छीन लिया था। पर्स में हानर कम्पनी का मोबाइल फोन, मंगलसूत्र, लॉकेट, सोने की झुमकी, चांदी की पायल, लगभग ₹2000 नगद, आवश्यक कागजात एवं अन्य सामान रखा हुआ था। घटना के सम्बन्ध में ***थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-206/2026 धारा 3(5)/309(4) बीएनएस*** बनाम 02 मोटरसाइकिल सवार नाम,पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

➡ इसी गिरोह द्वारा दिनांक 14.06.2026 को थाना सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत नोनारी बाजार से सरायमीर की ओर ऑटो रिक्शा से जा रही एक महिला का पर्स भी छीन लिया गया था, जिसमें मोबाइल फोन, लगभग ₹2000 नगद, आधार कार्ड, घर की चाभी एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। इस सम्बन्ध में ***थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0-166/2026 धारा 304(2) बीएनएस*** बनाम 02 मोटरसाइकिल सवार नाम,पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

दोनों घटनाओं के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से लगातार प्रयास किये जा रहे थे। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों घटनाओं को एक ही गिरोह द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस टीम बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी।

पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी-

दिनांक 24/25.06.2026 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह मय पुलिस बल क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा वांछित अपराधियों की तलाश में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि फूलपुर क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाश बिना नम्बर प्लेट की केटीएम मोटरसाइकिल से मुड़ियार ईदगाह के पास मौजूद हैं तथा किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर दोनों बदमाश तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल लेकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किये जाने पर बदमाशों ने स्वयं को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस वाहन की हेडलाइट क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस टीम द्वारा कई बार आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दिए जाने के बावजूद बदमाश लगातार फायरिंग करते रहे। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई नियंत्रित जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के दाहिने पैर में गोली लगी और वे घायल होकर गिर पड़े। तत्पश्चात पुलिस टीम ने दोनों अभियुक्तों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

घायल अभियुक्तों की पहचान ***समीर पुत्र अफसर निवासी सहजेरपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़*** तथा ***शिव कुमार राजभर उर्फ लाला पुत्र ललई राजभर निवासी चकबहार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़*** के रूप में हुई। दोनों को पुलिस अभिरक्षा में तत्काल सीएचसी फूलपुर भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय आजमगढ़ रेफर किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0-210/2026 धारा 3(5)/109/352/351(3) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास का इतिहास का विवरण:-

समीर पुत्र अफसर निवासी सहजेरपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0-206/2026 धारा 3(5)/309(4) बीएनएस थाना फूलपुर।
2. मु0अ0सं0-166/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना सरायमीर।
3. मु0अ0सं0-210/2026 धारा 3(5)/109/352/351(3) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना फूलपुर।
4. मु0अ0सं0-148/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना फूलपुर।

शिव कुमार राजभर उर्फ लाला पुत्र ललई राजभर निवासी चकबहार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0-206/2026 धारा 3(5)/309(4) बीएनएस थाना फूलपुर।
2. मु0अ0सं0-166/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना सरायमीर।
3. मु0अ0सं0-210/2026 धारा 3(5)/109/352/351(3) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना फूलपुर।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. समीर पुत्र अफसर निवासी सहजेरपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष। (घायल)
2. शिव कुमार राजभर उर्फ लाला पुत्र ललई राजभर निवासी चकबहार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष। (घायल)

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्तों के कब्जे से बरामद—

- 02 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
- 04 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन
- 01 जोड़ी चांदी की पायल
- ₹1577/- नगद (लूट की धनराशि)
- 01 अदद केटीएम-250 मोटरसाइकिल संख्या UP50DL3584

पूछताछ में खुलासा-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वे केटीएम मोटरसाइकिल से विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर महिलाओं एवं राहगीरों को निशाना बनाते थे। वारदात के लिए ऐसे स्थानों का चयन करते थे जहां तत्काल सहायता उपलब्ध न हो सके। विरोध करने वालों को अवैध तमंचा दिखाकर आतंकित करते थे और तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो जाते थे।अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि दिनांक 17.06.2026 को फूलपुर-दुर्वाषा मार्ग पर ऑटो रिक्शा में बैठी महिला से असलहा दिखाकर उसका पर्स छीन लिया था। बरामद हानर मोबाइल, चांदी की पायल एवं नकद धनराशि उक्त घटना से सम्बन्धित है।अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार किया कि दिनांक 14.06.2026 को नोनारी बाजार से सरायमीर जा रही महिला का पर्स भी छीन लिया था। बरामद मोबाइल फोन में से एक मोबाइल उक्त घटना से सम्बन्धित पाया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा माहुल, पवई तथा अन्य क्षेत्रों में भी मोबाइल छिनैती की घटनाएं कारित करना स्वीकार किया गया है। पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि दोनों अभियुक्त केटीएम मोटरसाइकिल की तेज गति का लाभ उठाकर वारदात के बाद मौके से फरार हो जाते थे तथा लूट एवं छिनैती से प्राप्त धनराशि को आपस में बांटकर खर्च करते थे। इनके अन्य सहयोगियों एवं पूर्व में की गई वारदातों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
2. व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ , थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
3. उ0नि0 अजीज खान, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
4. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
5. हे0का0 सत्येन्द्र सिंह, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
6. का0 जितेन्द्र कुमार यादव, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
7. का0 शुभम सिंह, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
8. का0 रोहित शर्मा, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
9. का0 विनोद कुमार यादव, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
10. का0 हरिकिशन मौर्य, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
11. का0 निलेश कुमार सिंह, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
12. का0 विशाल गौड़, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
13. रिक्रूट आरक्षी अभिषेक सिंह, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
14. म0का0 अंजू सिंह, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।
15. रि0म0का0 खुशबू यादव, थाना फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।